रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 400] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 1976/भाद्र 18, 1898
No. 400] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 1976/BHADRA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September 1976

S.O. 601(E).—In pursuance of sub-rule (5) of rule 154 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby appoints the Jute Commissioner, Calcutta, to exercise the powers of competent authority under the said rule.

[No. F. 20/22/76-Jute]

B. L. DAS, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1976

का० आ० 601 (अ).—भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 154 के उप-नियम (5) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त नियम के अन्तर्गत पटसन आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 20/22/76-पटसन]

बी० एल० दास, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976